(2)

54

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, ग्वालियर (म.प्र.)

II/निगरानी/भिण्ड/भू.रा/2018/0866

1-2-18

19-2-18 नियत।

01-02-18

राममहेश पुत्र चिन्तामन जाति ब्राह्मण
निवासी ग्राम सकराया तहसील अटेर
टप्पा–सुरपुरा जिला भिण्ड (म.प्र.)

..... आवेदक

'बनाम्'

रामप्रकाश पुत्र रामसहाय जाति ब्राह्मण
निवासी सकराया तहसील अटेर, टप्पा–
सुरपुरा जिला भिण्ड (म.प्र.)

..... अनावेदक

<u>निगरानी आवेदन अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. न्यायालय नायब तहसीलदार सुरपुरा के प्रकरण क्र. 01/2017×18/अ–70 में पारित आदेश दिनांक 13.12.2017 के विरूद्ध।</u>

माननीय महोदय,

निगरानी आवेदन निम्नानुसार पेश है :–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :–

1. यहकि, ग्राम सकराया की आराजी नंबर 1589 रकवा 0.01 के संबंध में अनावेदक ने आवेदक के विरूद्ध दिनांक 15.09.2017 को धारा 250 के अन्तर्गत आवेदक के विरूद्ध दावा पेश किया, जिसमें वगैर सुनवाई व साक्ष्य लिए आवेदक को सिर्फ 0.1 हेक्टर पर मिट्टी डालकर अवैध कब्जा होना मानकर आदेश पारित किया, उसी से दुखी होकर यह निगरानी आवेदन श्रीमान न्यायालय में समयसीमा के भीतर पेश कर रहा हूँ ।

<u>निगरानी के आधार निम्न हैं :–</u>

क्रमशः..........2/

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक दो/निगरानी/भिण्ड/2018/भूरा/0866

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
23-5-18	आवेदक के अधिवक्ता श्री ओ0 पी0 शर्मा उपस्थित होकर उनके द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार उप तहसील सुरपुरा तहसील अटेर जिला भिण्ड के प्रकरण कमांक 1/अ–70/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 13.12.17 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश इस प्रकार है कि अनावेदक राम प्रकाश पुत्र रामसहाय निवासी सकराया द्वारा ग्राम सकराया के सर्वे कमांक 1589 के रकवा 0.01 है0 पर आवेदक राम महेश द्वारा मिटटी डाल कर कब्जा करने का आवेदन कलेक्टर जिला भिण्ड के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। कलेक्टर जिला भिण्ड के आदेशानुसार राजस्व निरीक्षक सुरपुरा द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर नक्शा की छाया प्रति प्रस्तुत की। नायब तहसीलदार उप तहसील सुरपुरा तहसील अटेर जिला भिण्ड के प्रकरण कमांक 1/अ–70/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 13.12.17 से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई। 3– आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। अवलोकन से प्रतीत होता है कि नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर आवेदक को तलब किया गया,	

उनके अधिवक्ता द्वारा दिनांक 7.8.14 को सीमांकन होना बताया है जब कि अनावेदक द्वारा बताया गया है कि दिनांक 17.3.17 को गिटटी, मिटटी डालना बताया गया है। नायब तहसीलदार द्वारा राजस्व निरीक्षक से प्रतिवेदन मंगाया गया आदेशानुसार राजस्व निरीक्षक सुरपुरा द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर नक्शा की छाया प्रति प्रस्तुत की तथा भूमि सर्वे कमांक 1589 के रकबा 0.01 पर मिटटी, मिटटी डालकर बेजा कब्जा होना प्रतिवेदन में अंकित किया गया था, इसके आधार पर नायब तहसीलदार उप तहसील सुरपुरा का आदेश दिनांक 13.12.17 विधि प्रकिया से उचित प्रतीत होता है।

4– उपरोक्त विवेचना के आधार पर नायब तहसीलदार उप तहसील सुरपुरा तहसील अटेर जिला भिण्ड के प्रकरण कमांक 1/अ–70/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 13.12.17 उचित होने से स्थिर रखा जाता है । परिणामस्वरूप आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी अग्राह की जाती है। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे। पक्षकार सूचित हों।

सदस्य